E-mail

दिनांक 13.11.2014 को 4.00 बजे अपराह्न में सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में सभी उप निदेशकों की आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री रामाशीष पासवान, निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजातिकल्याण विभाग–सह–मिशन निदेशक
2. श्री सुरेश पासवान, विशेष सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग।
3. श्री बिरेन्द्र चौधरी, सहायक मिशन निदेशक, बी0एम0वि0एम0
3. श्री इंद्रजीत मुखर्जी, सहायक निदेशक(क), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग।
5. श्री अनिल कुमार सिंन्हा, मिशन समन्वयक
6. श्री शशि भुषण सिंह, मिशन समन्वयक
7. श्रीमति देवयानि कार, राज्य परियोजना पदा0, बी0एम0वि0एम0
8. श्री संजय देव, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0
9. श्री अरूण कुमार सिंह, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0
10. श्री इम्तयाज, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0
11. श्री शाहजहॉ, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0
12. श्री प्रकाश कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0
13. श्री ज्ञान प्रकाश, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0
14. श्री उमेश मांझी, राज्य परियोजना प्रबंधक, बी0एम0वि0एम0

कार्यवाहीः–

दिनांक–13.11.2014 के पूर्वाहन में माननीय मुख्य(अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग) मंत्री के साथ हुए विस्तृत विचार विमर्श के अनुसार निम्नाकित बिन्दुओं पर दिये गये निदेश पर निम्नाकित कार्रवाई की जानी हैः–

1. **अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्रावासों में खाना की व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में।**

बहुतेक दक्षिण भारत के राज्यों में, छात्रावासों में मेस सुविधा उपलब्ध रहने के कारण गरीब बच्चों को प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह सुविधा बिहार राज्य के छात्रावासों में नहीं रहने के कारण आई0आई0टी0, यू0पी0एस0सी0 एवं अन्य ऐसे संस्थानों में छात्रों का चयन बहुत कम हो पा रहा है। इस क्षेत्र में भी मेस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन क्षेत्रों का अध्ययन कर डेढ़ महीने के अन्दर सरकार के स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु माननीय मुख्य(अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग) मंत्री द्वारा निदेश दिया गया है। इस संदर्भ में अध्ययन करने हेतु निम्नांकित निदेश दिया जा रहा है :–

(i)चिन्हित पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित राज्यों में जाकर दिनांक 30.11.2014 तक वृहत् अध्ययन कर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित राज्यों के भम्रण/यात्रा के लिए यदि रेल गाड़ी का टिकट उपलब्ध नहीं हो तो वायुयान से जायेंगे एवं आयेंगे।

(ii) श्री हरेन्द्र श्रीवास्तव, उप निदेशक (कल्याण), पटना महाराष्ट्र राज्य का, श्री नरेन्द्र शर्मा, उप निदेशक (कल्याण), कोशी प्रमंडल,सहरसा को तेलंगाना राज्य का, श्री के0के0 सिंह, उप निदेशक (कल्याण), तिरहुत प्रमंडल, मुजफफरपुर को उड़िसा राज्य का ,श्री आशुतोष शरण, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (पदस्थापना की प्रतीक्षा में) को तमिलनाडु राज्य का, श्री चन्दन कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (मुख्यालय) को केरल राज्य का एवं श्री इन्द्रजीत मुखर्जी, सहायक निदेशक (क) को कर्नाटक राज्य में जाकर कम–से–कम तीन–चार दिन का संबंधित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का भ्रमण कर वृहत् अध्ययन करेंगे एवं छात्रावासों का पूरा रजिस्टर का फोटोकॉपी अथवा फोटोग्राफी करेंगे, छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के संचालन से संबंधित दिशा–निदेश की प्रति प्राप्त करेंगे, छात्रावास में कितना बच्चा है, कितना कौन–सा कक्षा से छात्रावास संचालित है, कितना कर्मचारी कार्यरत् है, मेस संचालन की पद्धति क्या है, प्रशासनिक ढॉचा एवं नियंत्रण किस प्रकार से किया जा रहा है, कार्य करने की प्रकिया क्या है। इन सारे बिन्दुओं का अध्ययन कर फोटोग्राफ्स के साथ दिनांक 30.11.2014 तक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अपने–अपने साथ किसी एक सक्षम प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारी/सहायक को भी साथ ले जा सकते हैं।

(iii) संबंधित सभी पदाधिकारी बिहार महादलित विकास मिशन से यात्रा हेतु अग्रिम प्राप्त करेंगे। राज्यों के भ्रमण के लिए दिनांक 17.11.2014 को प्रस्थान कर दिनांक 23.11.2014 को वापस लौटेंगे एवं दिनांक 30.11.2014 तक विभाग को वृहत् प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स के साथ उपलब्ध करायेंगे। यात्रा पर जाने एवं अग्रिम प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.11.2014 को निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को मॉग पत्र समर्पित करेंगे। अग्रिम की राशि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु बिहार महादलित विकास मिशन में संधारित राशि से अग्रिम उपलब्ध कराया जायेगा। मिशन निदेशक दिनांक 14.11.2014 तक मॉग के अनुसार अग्रिम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित पदाधिकारी यात्रा से लौटने के वाद वास्तविक विपत्र समर्पित कर राशि का समायोजन करायेंगे।

2. आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के लिए भूमि की उपलब्धता:–

राज्य के अत्यधिक आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण जो सुविधा छात्र–छात्राओं को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया था। इस संदर्भ में उप निदेशक (कल्याण) अपने स्तर से सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित करेंगे कि अपने स्तर से अनुश्रवण कर भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं स्वयं भी अनुश्रवण करेंगे। साथ ही प्रत्येक जिलों में 200 आसन वाले एक बालिका एवं एक बालक छात्रावास निर्माण हेतु एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई उप निदेशक (कल्याण) अपने स्तर से करेंगे एवं जमीन उपलब्धता की सूचना दिनांक 30.11.2014 तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

दरभंगा कॉलेज में छात्रावास:–दरभंगा में पॉच तल्ला का भवन बनाने के लिए इसी छात्रावास के साथ में एक भवन बनाया जायेगा। इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

3. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति :–

(i) छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण हेतु पूर्व में दिये गये आदेश को यथावत् रखने हेतु संचिका उपस्थाति. करें, ताकि माननीय मुख्य(अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण) मंत्री महोदय का आदेश प्राप्त किया जा सके। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 का भी छात्रवृत्ति की राशि संबंधित जिला से निर्गत नहीं की गयी है। सभी उप निदेशक को निदेश दिया जाता है कि छात्रवृत्ति निर्गत करने हेतु कार्रवाई करें।

(v) वित्तीय वर्ष 2012–13 का यदि छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया हो तो दिनांक 30.11.2014 तक छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित किया जाए। छात्रवृत्ति निर्गत करने के समय यदि किसी छात्र के बारे में संदेह हो अथवा कागजात अपूर्ण हो तो उसको छोड़कर अन्य छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए तथा संदेह वाले छात्रों के बारे में किसी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को भेजकर जॉच करा लिया जाए तथा छात्रवृत्ति निर्गत करें।

(vi) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का दिनांक 30.11.2014 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि 30 तारीख तक भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित उप निदेशक (कल्याण) पर भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

4–आवासीय विद्यालय संधारण :–

(i) मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एवं कुछ अन्य जिला कल्याण पदाधिकारी के बारे में यह जानकारी मिली है कि विभागीय आदेश संख्या–1729 दिनांक 29.08.2014 में दिये गये निदेश का अनुपालन सम्भवतः न कर एवं वित्तीय नियमवली का अनदेखी कर सामग्री की आपूर्त्ति करने हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेश दी गयी है एवं सामग्री की आपूर्त्ति प्राप्त की गयी है जो वित्तीय नियमावली का उल्लंधन प्रतीत होता है। संबंधित उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसकी जॉच कर दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं जिन चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा समय पर सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किया गया है उससे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कालीकृत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

(ii) पिछले वर्ष एक वर्ष के लिए निविदा किया गया था। जिन आपूर्त्तिकर्त्ता को सामग्री आपूर्त्ति करने हेतु आदेश दिया गया है यदि वे पिछले साल के दर पर इस वर्ष के लिए सामग्री की आपूर्त्ति करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें ही आदेश दे दिया जाए। आपूर्त्ति आदेश जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार दिया जायेगा। इसके लिए सभी जिलों से मॉग की विवरणी प्राप्त कर ली जाए। ब्लेजर को छोड़करअन्य सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2013–14 में किये गये सामग्री आपूर्त्ति का भुगतान नियमानुसार दिनांक–30.11.2014 तक कर दिया जाए। यदि इस तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी पर प्रपत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

(iv) बैठक में उप निदेशक(कल्याण) द्वारा कई तरह की समस्या को उठाया गया। इन समस्यों के निवारण हेतु मुख्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाए, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों होने वाले समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(v) पिछले वर्ष आवासीय विद्यालय का खाना बनाने एवं आपूर्त्ति करने के लिए जिस एजेंसी को कार्य दिया गया था। वह एजेंसी यदि पिछले वर्ष के दर पर कार्य करने के तैयार है तो उसी एजेंसी को कार्य आवंटित किया जाए।

(vi) आवासीय विद्यालय के लिए प्रधापाध्यापक/प्राचार्य द्वारा भोजन विपत्र प्रत्येक महीना के 25 से 25 तारीख तक का विपत्र तैयार कर अगले माह के 1 तारीख तक संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को देना है। जिला कल्याण पदाधिकारी 5 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) आवासीय विद्यालय में खाद्य सामग्री का मोनेटरिंग में छात्र/छात्रा , शिक्षको की उपस्थिति का अनुश्रवण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के निर्माण करने के लिए जो प्रकिया अपनाया गया है उसी प्रकिया के अनुसार एन्ड्रायड मोबाईल एवं सीम सॉफ्टवेयर SAS अपलिकेशन ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त कर उस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्त्ति अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति विभाग द्वारा किया जायेगा। यह मोबाईल सभी विकास मित्र, प्राधानाध्यापक, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी एवं मुख्यालय के सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन के सभी पदाधिकारियों को आपूर्त्ति किया जायेगा।

एन्ड्रायड मोबाईल से सभी प्राधानाध्यापक ब्रेक फास्ट, डीनर के समय डायनिंग हॉल का सभी बच्चों के साथ खाना खाते समय का फोटो अपलोड करेंगे तथा छात्र बल का आकलन करने हेतु प्रत्येक क्लास का फोटो लेकर अपलोड करेंगे। शिक्षक एवं अन्य कर्मियों का उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 10.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न का फोटो अपलोड करेंगे।

(viii) सभी उप निदेशक(कल्याण) एक–एक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का प्रत्येक महीना में दो बार भ्रमण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं खाना भी बच्चों के साथ खायेंगे तथा इसका फोटो भी अपलोड करेंगे।

(ix) सभी उप निदेशक(कल्याण) यह सुनिश्चित करेंगे कि कहॉ–कहॉ जमीन छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजात कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करना आवश्यक है। उसका प्रस्ताव अंचल अधिकारी, डी0सी0एल0आर0, एस0डी0ओ0, डी0एम0 एवं प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा जायेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त कर, मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

(x)छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में जो भी अनुपयोगी कुर्सी, टेबुल, कॉट्स आदि फर्निचर बेकार पड़ा हुआ है, उसको उप निदेश (कल्याण) की अध्यक्षता में निविदा आमंत्रित कर निष्पादित करेंगे एवं प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करेंगे तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5. सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेडः– सामुदायिक भवनों का निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। इस योजना को समग्र रूप से एवं एक Action Plan तैयार कर विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग द्वारा चयनित Architect M/S Sen & Lal Consultant के माध्यम से Cost effective Pre fabricated Structure से निर्माण कराने हेतु कार्रवाई बिहार महादलित विकास मिशान द्वारा कराया जायेगा।

6. इंदिरा आवास योजना का PMAGY ग्राम में आच्छादनः–

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 225 अनु0जाति बाहुल्य चयनित ग्रामों में इंदिरा आवास उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, गया का कहना है कि लगभग 15 हजार परिवारों को इंदिरा आवास दिया जा सकता है। इसके लिए सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अनुरोध किया जाए। बोधगया विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र में आता है इसलिए बोधगया में शत–प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को इंदिरा आवास योजना से आच्छादन किया जाना आवश्यक होगा।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।
16/11/14

बिहार सरकार,
अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–1 / निदे0छात्रावास(बैठक)–05–02 / 2014– 2461 पटना, दिनांक– 16.11.2014

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (कल्याण) / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
16/11/14

ज्ञापांक–1 / निदे0छात्रावास(बैठक)–05–02 / 2014– 2461 पटना, दिनांक– 16.11.2014

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य(अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण) मंत्री महोदय के प्रधान सचिव को को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
16/11/14.